



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4025]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 11, 2018/आश्विन 19, 1940

No. 4025]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2018/ASVINA 19, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2018

**का.आ. 5214 (अ).—**केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के क्रमशः स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-विनिर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

## तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
547	148सी	राजस्थान राज्य में किमी 280.300 पर रारा-48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रारा-52 को आर-पार करते हुए और किमी 222.750 पर रारा-21 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/2/2018-पी ऐंड एम (पार्टी)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**पाद टिप्पण :** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में संशोधन अधिसूचना सं. 4897(अ), दिनांकित 19.09.2018 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th October, 2018

**S.O. 5214 (E).** —In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

**TABLE**

<b>Sl. No.</b>	<b>New National Highway No.</b>	<b>Description of National Highways</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
547	148C	The highway starting from its junction with NH 48 at Km 280.300 intersecting NH-52 and terminating at its junction with NH-21 at km 222.750 in the State of Rajasthan .

[F. No. NH-14012/2/2018 -P&amp;M (pt)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

**Footnote :** The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 4897(E), dated 19.09.2018.